

भारत का राजपत्र
The Gazette of India,

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1972/फाल्गुन 4, 1893

No. 113] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1972, PHALGUNA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st February 1972

S.O. 156(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Mizoram, the Deputy Commissioner, Mizo District, Aijal, as the Returning Officer for the Mizoram (ST) Parliamentary Constituency.

[No. 434/MIZ/72.]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1972

एस० ओ० 156(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, मीजो संघराज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से, उपायुक्त, जिला मीजो एषल, को मीजो (अजजा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[संख्या 434/मीजो/72]

S.O. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Additional Deputy Commissioner, Mizo District, Aijal to assist the Returning Officer for the Mizoram (ST) parliamentary Constituency in the Union Territory of Mizoram in the performance of his functions.

[No. 434/MIZ/72(1).]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

एस० ओ० 157(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग मीजोरम संसदीय क्षेत्र में, मीजोरम (अजजा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की, उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिए, अपर उपायुक्त, जिला मीजो एजल की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[संख्या 434/मीजो/72(1)]

आदेश से,

के०. स० राजगोपालन, सचिव